न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 02 वर्ष 2017

आवेदक–मेघलाल रजवार
ग्राम – पिछरी टोला–मड़ईटोला
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– खीरो देवी
ग्राम – कोह टोला–मड़ईटोला
थाना – पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03

आदेश

यह वाद आवेदक– मेघलाल रजवार पिता स्व0 कालु रजवार ग्राम–पिछरी मंड़ईटोला थाना–पेटरवार जिला – बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
पिछरी	49	178	2693	12 डी0	2½ डी0	आवासीय योग्य

को वे आवश्यक घरेलू खर्च हेतु मो0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये में क्रेता– खीरो देवी पति स्व0 हरि प्रसाद रजवार ग्राम पिछरी मंड़ईटोला थाना–पेटरवार जिला – बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई। साथ ही इस कार्यालय के पत्रांक 31/रा0 दिनांक12.01.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 357 दिनांक 28.06.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों रजवार जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम–पिछरी (मंडईटोला) थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का मूल एवं वर्तमान निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि बुधु रजवार के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा यह जमीन बिक्रेता को उनकी पत्नी लखी देवी के नाम निबंधित केवाला से हासिल है एवं उसकी जमाबन्दी दा0खा0 वाद सं0 28/1996–97 के आधार पर पंजी–II के पृष्ठ सं0 147/XIIB पर लखी देवी के नाम से ही चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. प्रस्तावित भूमि गैर मजरूआ, भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता मेघलाल रजवार के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनकी पत्नी लखी देवी के नाम निबंधित केवाला से हासिल है तथा उसकी जमाबन्दी भी लखी देवी के नाम से ही चल रही है। पत्नी के मरणोपरान्त उक्त जमीन पर अपने बच्चों के साथ वे दखलकार हैं। प्रश्नगत जमीन को वे आवश्यक घरेलू

खर्च के लिए बिक्री कर रहे हैं जिसमें उनके पुत्र की भी सहमति है।

बिक्रेता का पुत्र मणिलाल रजवार के द्वारा एक शपथ पत्र समर्पित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन मेरी माँ लखी देवी के नाम खरीदगी जमीन है। मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है। मेरी माँ के मरणोपरान्त मेरे पिता मेघलाल रजवार विवरणांकित जमीन को खीरो देवीं के हाथों बिक्री कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है, और न भविष्य में होगा।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैः–

01. विक्रेता– लखी देवी के नाम निबंधित केवाला सं0 861 दिनांक 16.03.1996 तथा सरकारी लगान रसीद एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष रजवार जाति के हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित जमीन को वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत जमीन की बिक्री उसके पुत्र मणिलाल रजवार को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आवेदक– मेघलाल रजवार पिता स्व0 कालु रजवार ग्राम–पिछरी मंड़ईटोला थाना–पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
पिछरी 49	178	2693	12 डी0	2½ डी0	बिक्रेता नीज	पी0सी0सी0 रास्ता	बिक्रेता नीज	डॉ0 महेश साहु
(दो पूर्णांक एक बटा दो) डीस्मिल मात्र।								

मो0 1,05000/– (एक लाख पाँच हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता खीरो देवी पति स्व0 हरि प्रसाद रजवार ग्राम पिछरी मंड़ईटोला थाना–पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

ह0 21/07/1?

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

ह0 21/07/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 00:53:50 -08:00
Location: 192.168.1.35